



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 554]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 1980/अग्रहायण 18, 1902

No. 554]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 1980/AGRAHAYANA 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1980

क्रा. अा. 946(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ सैतालीसवां संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में :—

(क) शीर्षक "कृषि मंत्रालय" के अन्तर्गत, उप-शीर्षक "स. खाद्य विभाग" के अन्तर्गत, प्रविष्टि "3" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"3. खाद्य से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों तथा अन्य निकायों, जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ परि-

षद्, अन्तर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद्, विश्व खाद्य परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, में भाग लेना और वहां पर किए गए विनिर्देशनों का कार्यान्वयन";

(ख) शीर्षक "वाणिज्य मंत्रालय" के अन्तर्गत, उप-शीर्षक "क. वाणिज्य विभाग" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. वाणिज्य-नीति से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे कि यू. एन. सी. टी. ए. डी., ई. एस. सी. ए. पी., ई. सी. ए., ई. सी. एल. ए., ई. ई. सी., ई. एफ. टी. ए., जी. ए. टी. टी.)";

(ग) शीर्षक "पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" के अन्तर्गत, —

(क) प्रविष्टि 4 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4-क. इन्टरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गनाइजेशन (आई. सी. ए. ओ.);

4-ख. इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन (आई. ए. टी. ए.);

- 4-ग. कामनवैल्थ एयर ट्रांसपोर्ट (सी. ए. टी. सी.) ;
- 4-घ. कामनवैल्थ ऐडवाइजरी एरोनाटिकल रिसर्च फ़ाउंडेशन ;
- (ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “6. मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा” ;
- (ग) प्रविष्टि 8-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “8-क. भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल/मोटल” ;
- (घ) प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- “13. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ;
14. भारतीय होटल निगम लि.” ;
- (घ) शीर्षक “अन्तरिक्ष विभाग” के अन्तर्गत,—
- प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
- “9. राष्ट्रीय सूक्ष्म संवेदन अभिकरण (एन. आर. एम. ए.) से सम्बन्धित सभी मामले” ।

नीलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति

[सं. 74/3/13/80-मंत्रि.]

के. महगल, अपर सचिव

#### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 1980

**S.O. 946(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty-seventh Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(A) under the heading “MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)”, under the sub-heading “B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)”, for entry ‘3’, the following entry shall be substituted, namely :—

“3. Participation in international conferences, associations and other bodies concerning food, e.g. International Wheat Council, International Sugar Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute and implementation of decisions made thereat.”;

(B) under the heading “MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)” under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)”, for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

“2. International Agencies connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ESCAP, ECA, ECLA, EEC, EFTA, GATT).”;

(C) under the heading “MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)”,—

(a) after entry 4, the following entries shall be inserted, namely :—

“4. A. International Civil Aviation Organisation (ICAO);

4. B. International Air Transport Association (IATA);

4C. Commonwealth Air Transport (CATC);

4D. Commonwealth Advisory Aeronautical Research Council.”;

(b) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely :—

“6. Chief Commissioner of Railway Safety.”;

(c) for entry 8A, the following entry shall be substituted; namely :—

“8A. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels/Motels thereunder.”;

(d) after entry 12, the following entries shall be inserted, namely :—

“13. International Airports Authority of India;

14. Hotel Corporation of India Ltd.”;

(D) under the heading “DEPARTMENT OF SPACE (ANTAREEKSH VIBHAG)”,— after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

“9. All matters relating to National Remote Sensing Agency (NRSA).”

N. SANJIVA REDDY,  
President

[No. 74/3/13/80-Cab]

K. SAIGAL, Addl. Secy.